निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :51/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

हरजीराम पुत्र भोलू निवासी खरबास की ढाणी, ग्राम थला, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेश मीणा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण।
2. बजरंग पुत्र भूरा निवासी ग्राम थला, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण ।
3. मैसर्स राधव ड्रीम बिल्डर्स पजीकृत कार्यालय शोप नम्बर 2, पारदिया हॉस्पीटल, डिग्गी रोड, सांगानेर जरिये प्रो. गिर्राज चौधरी पुत्र रामचन्द्र चौधरी जाति जाट निवासी मनोहरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 111/2023 उनवानी मैसर्स राधव ड्रीम बिल्डर्स बनाम बजरंग व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी 3 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 20.05.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 111/2023 उनवानी मैसर्स राधव ड्रीम बिल्डर्स बनाम बजरंग व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई किन्तु प्राप्त नही हुई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बडे बिल्डर्स है तथा राजनैतिक अप्रोच वाले व्यक्ति है। इसलिए अपने प्रभाव के चलते न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर अपने मन मर्जीनुसार प्रकरण में फैसला कराने पर आमादा है। अप्रार्थीगण जो कि अपने राजनैतिक

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

पहुंच के चलते अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव में लेकर एवं राजनैतिक दबाव में लाकर उक्त वाद में प्रार्थी के विरूद्ध फैसला करवाने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा गांव के लोगों व आसपास के लोगो को कहते रहते है कि हमारी बातचीत हो चुकी है और प्रकरण का जल्द ही हमारे पक्ष में फैसला करवा लेंगे। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि बिना पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस कारण प्रार्थी को कोई न्याय मिलने की दूर दूर तक आशा नहीं है। इसलिए प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 26.03.2024 में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का तथ्य तहरीर है व अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनाक 02.04.2024 तय की गई और दिनांक 02.04.2024 से पूर्व ही फिर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो वाद का निस्तारण न होने देने का प्रमाण है। प्रार्थी बार–बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करके कानून का दुरूपयोग कर रहा है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त वाद में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अभी लम्बित है। प्रार्थी अभी प्रकरण में पक्षकार नही बना है। प्रार्थी ने पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्व भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 171/2023 पेश किया था जो दिनांक 20.02.2024 को खारिज हो चुका है। अब दिनाकः 22.03.2024 को पुनः नये पीठासीन अधिकारी के विरूद्व भी यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। इससे प्रार्थी की प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब किये जाने की मंशा स्पष्ट जाहिर होती है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विरूद्व है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर (ग्रामीण)